46

न्यायालय राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1056-अध्यक्ष/2004 विरूद्ध आदेश 31-3-97 - पारित - व्दारा - अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, ग्वालियर - प्रकरण कमांक 349/1996-97 स्वमेव निगरानी

कपूरी वाई पत्नि बृजेश ब्राहमण
ग्राम ईच्छना खेड़ली तहसील
श्योपुर कलॉ तत्का.जिला मुरैना
वर्तमान जिला श्योपुर, मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

1- मध्य प्रदेश शासन
2- अपर आयुक्त, चंबल संभाग,ग्वालियर --अनावेदकगण

(आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री ऐ0के0अग्रवाल)
(अनावेदकगण के पैनल लायर)

आ दे श

(आज दिनांक 6 - 4 - 2016 को पारित)

अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 349/1996-97 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 31-3-1997 के विरूद्ध यह निगरानी म0प्र0 भू राजस्व संहिता,1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने तहसीलदार श्योपुर कलॉ को आवेदन देकर बताया कि वह ग्राम ईच्छना खेड़ली की निवासी है तथा भूमि सर्वे कमांक 235 के रकबा 8 वीघा 18 विसवा (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) पर काविज

होकर खेती करती आ रही है इसलिये म0प्र0कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 के अंतर्गत भूमि का व्यवस्थापन किया जाय। तहसीलदार श्योपुर कलॉ ने प्रकरण क्रमांक 378/1994-95 अ 19 पंजीबद्ध किया तथा सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 26-6-1995 पारित करके वादग्रस्त भूमि का व्यवस्थापन आवेदक को कर दिया।

तहसीलदार व्दारा भूमि व्यवस्थापन में अनियमिततायें किये जाने की शिकायत होने पर व्यवस्थापन प्रकरण की जांच में अनियमिततायें पाने पर अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, ग्वालियर ने प्रकरण क्रमांक 349/1996-97 स्वमेव निगरानी पंजीबद्ध किया तथा आवेदक को सुनवाई हेतु कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 349/1996-97 स्वमेव निगरानी दिनांक 5-3-97 जारी किया। तामील कुनिन्दा व्दारा आवेदक को ग्राम में निवास न करना पाने से तदाशय की टीप सहित कारण बताओ सूचना वापिस किया, जिस पर से अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, ग्वालियर ने आवेदक का सही पता न होने के कारण आदेश दिनांक 31-3-1997 पारित करके तहसीलदार श्योपुर कलॉ के प्रकरण क्रमांक 378/1994-95 अ 19 में पारित भूमि व्यवस्थापन आदेश दिनांक 26-6-1995 निरस्त कर दिया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एंव अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, ग्वालियर के प्रक0 क्रमांक 349/96-97

स्वमेव निगरानी के अवलोकन पर यह तथ्य निर्विवाद है कि अपर आयुक्त व्दारा आवेदक को सम्यक सूचना दिये बिना एकपक्षीय आदेश पारित किया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धॉतों के अनुरूप नहीं है। यदि तहसीलदार श्योपुर कलॉ ने प्रकरण कमांक 378/1994-95 अ 19 में पारित आदेश दिनांक 26-6-1995 से भूमि व्यवस्थापन में अनियमिततायें करके त्रृटि की है एंव आवेदक भूमि व्यस्थापन की पात्र है अथवा अपात्र है, बिना जॉच किये भूमि व्यवस्थापन किया है किन्तु आवेदक को महिला होने के नाते सुना जाना अनिवार्य है। ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 349/1996-97 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 31-3-1997 नियमानुसार होना नहीं माना जा सकता। जहॉ तक तहसीलदार श्योपुर कलॉ के प्रकरण कमांक 378/1994-95 अ 19 में पारित आदेश दिनांक 26-6-1995 से भूमि व्यवस्थापन करने में में त्रृटि करते हुये आवेदक भूमि व्यस्थापन की पात्र है अथवा अपात्र है बिना जॉच किये भूमि व्यवस्थापन करने का प्रश्न है ? तहसीलदार का आदेश दिनांक 26-6-1996 भी स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5/ प्रकरण में महिला आवेदक को भूमि व्यवस्थापन में पाने की पात्रता है अथवा नहीं - जॉच होना है तभी यह निर्धारित होगा कि आवेदक को भूमि व्यवस्थापित की जावे। वर्तमान में भूमि बन्टन/व्यवस्थपपन की स्थिति यह है कि मान0 डी0बी0एच0सी0 व्दारा तत्समय प्रस्तुत रिट पिटीशनल कमांक 2496/2002 में पारित आदेश दिनांक 5-8-2002 से भूमि बन्टन/व्यवस्थापन पर रोक लगा दी गई थी। इसी कम में मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल ने ज्ञापन कमांक एफ-30-18/2002/सात

-2-ए दिनांक 21-1-2003 जारी करके भूमि बन्टन/व्यवस्थापन पर रोक लगा दी गई एंव इसी कम में मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल ने ज्ञापन कमांक एफ-16-18/ 2007/ सात-2-ए दिनांक 30-6-2007 जारी करके भूमि बंटन/व्यवस्थापन की शक्तियॉ नायब तहसीलदार/तहसीलदार से वापिस लेकर कलेक्टर में वेष्ठित कर दी हैं।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 349/1996-97 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 31-3-1997 एंव तहसीलदार श्योपुर कलॉ व्दारा प्रकरण कमांक 378/1994-95 अ 19 में पारित आदेश दिनांक 26-6-1995 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण कलेक्टर, श्योपुर कलॉ को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह महिला आवेदक के सम्बन्ध में , कि वह ग्राम ईच्छना खेड़ली की निवासी है अथवा नहीं ? उसे भूमि व्यवस्थापन में पाने की पात्रता है अथवा नहीं , आवेदक को सुनवाई का समुचित अवसर देकर शासन व्दारा समय समय पर जारी भूमि बंटन/ व्यवस्थापन आदेशों के अनुरूप पुनः विधिवत् आदेश पारित करें।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
म0प्र0ग्वालियर